

440 -

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक :- 03.09.2010

विभागीय अधिसूचना सं0-447 दिनांक 19.01.10 द्वारा बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के गठन के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0-460 दिनांक 19.01.10 सहपठित शुद्धि पत्र सं0-592 दिनांक 25.01.2010 तथा संकल्प सं0-2907 दिनांक 26.03.10 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक अंतरिम/कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्थानापन्न प्रभार देते हुये क्रम सं0-1 से क्रम सं0- 6 पर अंकित चिन्हित विभागों के चिन्हित पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त करते हुए तथा क्रम सं0- 7 से क्रम सं0- 10 पर अंकित प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्तंभ-7 से स्थानांतरित करते हुये स्तंभ-8 में अंकित प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	RDD-ID NO.	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	पैतृक विभाग का नाम	पूर्वधारित पद/ जिला का नाम	नवपदस्थापित प्रखंड का नाम	पदस्थापित जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10308	RDD/000136	श्रीमती लालिमा कुमारी	पटना	ग्रामीण विकास विभाग	महिला प्रसार पदाधिकारी/ गया	सिसवन	सिवान
2	10309	RDD/001291	श्री विरेन्द्र चौधरी	मुजफ्फरपुर	सहकारिता विभाग	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/ सीतामढ़ी	गुठनी	सिवान
3	10310	RDD/001126	श्री विकास कुमार	मुंगेर	सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय	सांख्यिकी पर्यवेक्षक/ भागलपुर	सूर्यगढा	लखीसराय
4	10311	RDD/001981	श्रीमती पुष्पा लकड़ा	अन्य राज्य	ग्रामीण विकास विभाग	महिला प्रसार पदाधिकारी/ अररिया	मरौना	सुपौल
5	10312	RDD/002150	श्री तिलकधारी चौधरी	भोजपुर	सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय	सांख्यिकी पर्यवेक्षक/ कैमूर	नावकोठी	बेगूसराय
6	10313	RDD/001800	श्री खालिद अंसारी	पूर्वी चम्पारण	सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय	सांख्यिकी पर्यवेक्षक/ सारण	पिपरा	सुपौल
7	10314	RDD/001697	श्री सुनील कुमार सिन्हा	पटना	सहकारिता विभाग	प्रखंड विकास पदाधिकारी/ लखीसराय	अलीनगर	दरभंगा
8	10315	RDD/000879	श्री राजन लाल निगम	पश्चिमी चम्पारण	सहकारिता विभाग	प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सिवान	शिवसागर	रोहतास
9	10316	RDD/001764	श्री मनोज कुमार सिंह	सहरसा	सहकारिता विभाग	प्रखंड विकास पदाधिकारी/ शिवहर	वायसी	पूर्णियां
10	10317	RDD/000141	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	सारण	सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय	प्रखंड विकास पदाधिकारी/ पूर्णियां	तरियानी	शिवहर

3/9 27/8/10

2

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

2. उक्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा अधिकतम 3 वर्षों, दोनों में से जो पहले हो, के लिए होगा ।

3. कार्यावधि की समाप्ति के उपरांत उपरोक्त तालिका में प्रतिनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेगे ।

4. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने वेतनमान में ही कार्य करेगे तथा उन्हें बिहार सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा ।

5. सेवा असंतोषप्रद पाये जाने पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किसी भी समय पदाधिकारी की सेवाएँ उनके पैतृक विभाग को वापस कर दिया जाएगा ।

6. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने-अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान देकर निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करेंगे एवं प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजेंगे । प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सितम्बर, 2010 का वेतन आदि नवप्रतिनियुक्त स्थान से ही प्राप्त करेंगे ।

7. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन के नियंत्री पदाधिकारी नवपदस्थापित प्रखंड से संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा नवपदस्थापित स्थान से संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को सेवापुस्त प्राप्त होने पर अपने अधीनस्थ कार्यालय में संधारित करेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 10317 दिनांक:- 03.09.2010

ग्रा0वि0- 2/स्था0-01-02/10

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 के साथ (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 10317 दिनांक:- 03.09.2010

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा, निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

8/3/19

8/3/19

जापांक:- 10317

दिनांक:- 03.09.2010

प्रतिलिपि- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी/ ग्रामीण विकास विभाग के प्रशाखा-2, एवं 3/ग्रामीण विकास विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित विभाग/ जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने नियंत्री पदाधिकारियों के पदस्थापन की सूचना आज ही अपने स्तर से उपलब्ध कराना एवं अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

3. सभी संबंधित विभाग/ नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों को अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रभार ग्रहण करने हेतु विरमित कर दिया जाय।

4. सभी विभाग/ जिला पदाधिकारी स्थानान्तरण से संबंधित विभागीय अधिसूचना वेबसाइट- www.rdd.bih.nic.in /सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है इसे आज ही डाउनलोड कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

5. संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि आदेश का तत्क्षण अनुपालन कराकर विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।



सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 10317

दिनांक:- 03.09.2010

प्रतिलिपि- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., सूचना भवन, पटना एवं कम्प्यूटर कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव


